न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2012

1 हरिकिशन उम्र 56 साल
2 रामस्वरूप उम्र 52 साल पुत्रगण श्री बनवारीलाल
3 रामबिलास उम्र 49 साल पुत्र श्री रामनिवास, जाति ब्राह्मण निवासी लाडून्दा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 उर्मिला उम्र 43 साल बेवा बंशीधर
2 अमित उम्र 20 साल पुत्र बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी लाडून्दा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3 जगदीश उम्र 66 साल
4 ओमप्रकाश उम्र 64 साल
5 विश्वेसर उम्र 62 साल
6 ओमदत्त, उम्र 59 साल
7 सांवरमल उम्र 57 साल
8 सीताराम उम्र 55 साल पुत्रगण श्योकरण, जाति ब्राह्मण निवासी लाडून्दा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरीये शाखा प्रबंधक, पिलानी तहसील चिड़ावा
10 पंजाब नेशनल बैंक, जरीये शाखा प्रबंधक चिड़ावा तहसील चिड़ावा।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चिड़ावा तहसील चिड़ावा।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा दिनांक 17.02.2012 बउनवानी मुकदमा
हरिकिशन बनाम जगदीश वगै. मु.नं. 142/2010

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2010 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 47, 508/28, 490/47, 28, 22, 23, 48 वाके ग्राम लाडून्दा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में वादी ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2)(4) का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से काउंटर क्लैम प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया एवं काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 को अपने हक में कर दुरभीसंधि द्वारा दिनांक 16.05.2011 को एक झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर न कर दुरभी संधि को सही मानकर तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.10.2011 को पेश ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज के प्रार्थना पत्र पर गौर न फरमाकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उक्त उनवानी दावे में प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर वादीगण के दावे एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावें के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण ली जाकर प्रत्येक तनकीयात का निर्णय एवं डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने विधि के अनुरूप निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की। प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं परिशोधन पत्र से साबित है कि बंदोबस्त विभाग ने दिनांक 26.07.1978 को खसरा नम्बर 47, 508/28, 490/47, 28, 22, 23 एवं 48 मौजा लाडून्दा के राजस्व रिकार्ड को गलत ढंग से तैयार किया। इस पर भी विचारण न्यायालय ने माइन्ड अप्लाई नहीं कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी का वाद ट्रान्सपोजिशन ऑफ पार्टीज के बिन्दु पर खारिज किया हैं। वादी ने इस आदेश की पृथक से अपील प्रस्तुत नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज होने पर पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी का काउंटर क्लैम स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2)(4) सीपीसी पर सुनी थी। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के काउंटर क्लैम का वादी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ था। तनकीयात कायम नहीं की गई थी। साक्ष्य प्राप्त नहीं की गई थी। गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस नहीं सुनी गई थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर